सार्वजनिक-निजी साझेदारी के प्रस्ताव का एक फौरी विश्लेषण

डॉ. निरंजनराध्या वी.पी.

यह सार्वजनिक-निजी साझेदारी के प्रस्ताव पर एक लघु टिप्पणी है। 15 अगस्त, 2007 को प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने अभिभाषण में 6000 नए स्कूलों की स्थापना की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार ने इनमें से 2500 स्कूल सार्वजनिक-निजी साझेदारी के मॉडल के आधार पर संचालन के निर्देश राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भेज चुकी है। डॉ. निरंजनराध्या ने राज्य सरकारों को भेजे गए इन निर्देशों पर एक त्वरित टिप्पणी की है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए उस प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु जिसमें उन्हें 6000 मॉडल स्कूल खोलने के लिए कहा गया है और जिसमें से 2500 स्कूल सार्वजनिक-निजी साझेदारी में होंगे, इस प्रस्ताव का त्वरित विश्लेषण और अपनी टिप्पणी मैं यहां पेश कर रहा हूं।

1.1 यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के 2007 में स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण पर आधारित है। इसमें उन्होंने देश के प्रत्येक ब्लॉक में उच्च गुणवत्ता वाले 6000 स्कूल खोलने की घोषणा की थी। यह लगभग वैसी ही घोषणा थी, जैसी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1986 की शिक्षा नीति में की थी कि हर जिले में शिक्षा का एक श्रेष्ठ केन्द्र खोला जाए।

1.2 मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 फरवरी 2008 को सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री की घोषणा की अनुपालना के लिए एक केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना बना कर भेजी गई।

1.3 इस योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल बनाए जाने का प्रावधान था। इस योजना में चार तरह के संस्थान बनाए जाने की बात थी।

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित 500 सामान्य केन्द्रीय विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई हो।
- 2500 विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न पर बनाए जाएं, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई हो और उनका संचालन राज्य सरकारें पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से करें।
- जवाहर नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर 500 आवासीय स्कूल खोले जाएं जिनका संचालन जवाहर नवोदय समिति करे।
- केन्द्रीय विद्यालय के नियमों कानूनों के तहत 2500 स्कूल खोले जाएं, जिनका संचालन सार्वजनिक-निजी साझेदारी के अंतर्गत निजी एजेंसी करें।

लेखक परिचय :

सीनियर रिसर्च ऑफिसर, सेंटर फॉर चाइल्ड एण्ड द लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया युनिवर्सिटी, बैंगलूरु।

सम्पर्क :

सेंटर फॉर चाइल्ड एण्ड द लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया युनिवर्सिटी, बैंगलूरु।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों के लिए दिशा निर्देश-

1.1 राज्य सरकारें निजी साझेदारों को स्कूल खोलने के लिए आमंत्रित करेंगी और उसमें से चुनकर सार्वजनिक-निजी साझेदारी के अंतर्गत 2500 स्कूल खोले जाएंगे। इससे बड़े व्यापारी और कॉरपोरेट वर्ग के लिए निजीकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाने और व्यवस्था में सम्मानजनक तरीके से पैठ बनाने का अवसर मिलेगा। (जोर मेरा)

1.2 ये निजी साझेदार व्यापारी संगठन, परोपकारी संस्थाएं, शिक्षा ट्रस्ट या निजी संस्थान हो सकते हैं। सूची से यह स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव किनके हितों को साधने जा रहा है (जोर मेरा)।

1.3 ये स्कूल जिलों के उन खण्डों के मुख्यालयों में खोले जाएंगे जो शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। स्पष्ट है कि ये स्कूल उन गरीब बच्चों के लिए नहीं हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति या समाज की अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं। निजी संस्थाओं के लिए मुनाफा बनाने के लिए ये एक बेहतर मौका है क्योंकि इन खण्ड मुख्यालयों पर सभी जरूरत की सुविधाएं उनको आसानी से मुहैया हो सकेंगी। (जोर मेरा)

1.4 स्कूल के लिए जमीन की व्यवस्था निजी संस्था करेगी। राज्य सरकार उसको जमीन उपलब्ध करवा सकती है। ये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का वाक्य ''राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवा सकती है'' अफसरशाही को अपार शक्तियां प्रदान करना है। अफसरशाही अपने निजी हित साधने के लिए बेहतर सरकारी जमीन को खोजकर निजी हाथों में सौंप देगी। ये छोटा सा, नाकुछ-सा वाक्य सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन को निजी हाथों में 'सेवा' के नाम पर दे देगा। (जोर मेरा)

1.5 स्कूलों में केन्द्रीय विद्यालय के नियम लागू होंगे। इससे निजी क्षेत्र के लिए ये दावा करना आसान हो जाएगा कि वे देश के राष्ट्रीय मानदण्डों के आधार पर ही स्कूल चला रहे हैं। इस तर्क को वे अपने मुनाफे को बढ़ाने और बाजार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं (जोर मेरा)

1.6 स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी। अब क्योंकि पढ़ाई कक्षा 6 से आरम्भ होगी इसलिए निजी संस्थाओं के लिए ये आसान होगा कि वे सरकारी स्कूल के उन बच्चों का चयन दाखिले के लिए करें जिनका परीक्षा परिणाम अच्छा हो। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक बच्चों को तैयार करने में अपना पसीना बहाते हैं। सारे सुपरिणाम निजी संस्थाओं की झोली में आएंगे। (जोर मेरा)

1.7 स्कूलों का निर्माण, प्रबंधन व संचालन निजी हाथों में होगा। क्या अब भी ये कहना बचा रह जाता है कि ये निजीकरण नहीं सार्वजनिक-निजी साझेदारी है। सार्वजनिक क्षेत्र की भगीदारी है कहां ? ये तो सीधे तौर पर निजीकरण की दस्तक है। (जोर मेरा)

1.8 निजी साझेदार शुरुआत में सारी पूंजीगत लागत वहन करेंगे। केन्द्रीय सरकार स्कूल के निर्माण की लागत का कुछ भाग दस वर्षों के अंतराल में ब्याज सहित भुगतान करेगी। राज्य सरकार भी पूंजीगत निवेश का कुछ भाग वहन करेगी जो सरकार के निर्णय के अनुसार देय होगा। ये केवल निजीकरण नहीं, बल्कि राज्य द्वारा प्रायोजित निजीकरण है। बहुत खूब! सरकार निर्माण की लागत को मय ब्याज के चुकाएगी। निजी संस्थाओं के प्रति वफादारी की ऐसी मिसाल और कहां मिलेगी!!!

1.9 स्कूलों में दो तिहाई सीटें राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होंगी और एक तिहाई सीटों पर प्रबंधन अपनी मर्जी से छात्रों को भर्ती करेगी। ये निजीकरण की वाउचर प्रणाली की तरह ही है।

1.10 आरक्षण के नियम केवल सरकार द्वारा प्रायोजित सीटों पर ही लागू होंगे। ये एक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया नहीं है जिसमें आसपास के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर मिलें।

1.11 राज्य सरकार प्रायोजित छात्रों पर होने वाले खर्च की भरपाई कर सकती है लेकिन इसकी दर किसी माध्यमिक स्कूल में होने वाले खर्च के आधार पर होगी। बाकी खर्च की भरपाई निजी संस्था करेगी। वाउचर पद्धति में ठीक यही होता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रति छात्र होने वाला खर्च अधिक होता है और इस तरह से निजी क्षेत्र के हिस्सेदार को अधिक फायदा होगा।

1.12 निजी हिस्सेदार को शिक्षकों के चयन और स्कूल के संचालन में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और स्कूल राज्य सरकार और उनके द्वारा निर्धारित नियमों के तहत चलेगा। वास्तव में यह सरकार द्वारा वित्त पोषित एक निजी स्कूल है जो सार्वजनिक-निजी भगीदारी के नाम पर चलाया जा रहा है।

1.13 स्कूल की सम्पदा पर 30 वर्ष तक निजी हिस्सेदार और सरकार की बराबर भागीदारी होगी और इस काल के सफलता पूर्वक पूरे होने पर यह सम्पदा निजी हिस्सेदार को हस्तांतरित हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक शर्त होगी कि इस सम्पदा का उपयोग स्कूल के लिए ही होगा। इस देश की जनता को सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने देश के सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को नोट करने और शिक्षा के निजीकरण का इतना आश्चर्यजनक, सुविचारित और सुव्यवस्थित योजना बनाई है।

गरीब लोगों और सिविल सोसायटी के लोगों के लिए इसमें क्या संदेश है?

1.1 यह प्रस्ताव इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है कि वह देश भर के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाए और इनमें पढ़ रहे अनुसूचित जाति, जन जाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराए जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने 1993 के निर्णय और 2002 में हुए संविधान संशोधन में कहा गया है।

1.2 यह प्रस्ताव वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मौजूद भेदभाव को और बढ़ाएगा और बजाए दमित और शोषित वर्ग के हितों का ख्याल रखने के शासित वर्ग के हितों को साधने का काम करेगा। यह प्रस्ताव संविधान के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध राज्य द्वारा किया गया एक ऐसा काम है जिसमें एक ओर राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में भेदभाव को सायास बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी ओर शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। यह सीधे-सीधे खुद राज्य द्वारा संविधान की अवमानना की कोशिश है जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

1.3 इस प्रस्ताव के कारण सरकारी स्कूलों की स्थिति भौतिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में और भी बदतर हो जाएगी और अधिकांश गरीब लोग जो विभिन्न योजनाओं कारणों के चलते अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। ये छोटे निजी स्कूलों के हित में ही होगा। और स्कूल न जा सकने वाले लाखों बच्चे जो दोबारा स्कूल आना शुरू कर रहे हैं, दोबारा शिक्षा के समान अवसर न मिल पाने के अपमान के विरोध में स्कूल छोड़ने पर मजबूर होंगे। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए ताकि सरकारी तंत्र के स्कूलों को निजीकरण के हित में नष्ट किया जा सके।

1.4 सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के भविष्य का खतरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इससे न केवल आने वाले समय में अवसरों की उपलब्धता प्रभावित होगी बल्कि निजीकरण उनको अपनी सरकारी स्कूलों की नौकरी छोड़ने के लिए भी बाध्य करेगा। और ये सब उन लोगों के साथ जा मिलेंगे जो निजीकरण के चलते पहले ही अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं।

1.5 अंततः, यह पूरी तरह से 1968, 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों के प्रति जवाबदेही से पल्ला झाड़ना है जिनमें नजदीकी स्कूलों के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना और समता के लिए समान स्कूली व्यवस्था की बात की गई थी। ◆

कवितांश

विश्व मण्डी में

''मंडी'' जीभ लपलपाए
तैयार
''सामान'' खपत के लिए
तत्पर
मीडिया लगा रहा गुहार -
भोक्ता संस्कार है बरकरार-
बरकरार

एक के बाद एक सब देश
बिकने को लाचार
खड़े क्रमवार
लगाए बाजार में कतार

''आओ हमें खरीदो
खरीदो हमारी आजादी
खरीदो स्वाभिमान
हम मण्डी में बिकने को तैयार
हम मण्डी बनने को तैयार''-
मचा हाहाकार
पर कुछ सिरफिरे
अभी भी हैं अड़े
विश्व-चलन के खिलाफ
डटे खड़े

मैक्सिको की औरत ने नकारा बाजार
सोमालिया के बूढ़े कंकाल भी-
कर रहे पुकार
नहीं चाहिए बाजार-नहीं चाहिए
बाजार
नहीं चाहिए बाजार...

रमणिका गुप्ता

('उद्‌भावना' अंक 73-74, अक्टूबर 06-मार्च 07 से साभार।)